

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/6611

दिनांक - 06.08.25

प्रार्थीनी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 कमलाकंवर पत्नि
इन्द्रसिंह जाति रावणा
राजपूत निवासी लूनाडा,
पटवार हल्का लूनाडा
तहसील बाटाडु, जिला
बाटाडु।

1 नेनुकवंर पत्नि भगसिंह 2 सवाईसिंह
पुत्र सागसिंह 3 गोमीकंवर पत्नि
पर्वतसिंह 4 पूरीकंवर पत्नि अमेदसिंह 5
मधुकंवर पत्नि माधुसिंह 6 सूरज पत्नि
सुमेरसिंह जातियान रावणा राजपूत
निवासी लूनाडा, 7 कमला देवी पत्नि
स्व. बगताराम 8 कान्ता पुत्री बगताराम
9 नीलम पुत्री बगताराम 10 विरमाराम
पुत्र जसुराम जातियान ब्राहमण निवासी
सिगोडियो तहसील बाटाडु जिला
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत,
राजस्व आवेदन संख्या :- 274/2025

दिनांक-31/07/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा लूनाडा पटवार क्षेत्र लूनाडा तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1660/1517 रकबा 1.5129 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडु को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीनी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उप खण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 06.08.25

क्रमांक :- रीडर/2025/6612-15

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडु पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी लूनाडा तहसील बाटाडु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीनी कमलाकंवर पत्नि इन्द्रसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी लूनाडा, पटवार हल्का लूनाडा तहसील बाटाडु, जिला बाटाडु।
4. विप्रार्थीगण नेनुकवंर पत्नि भगसिंह वगैरह जातियान रावणा राजपूत निवासी लूनाडा, तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
बाड़मेर